न्यायालय, अपर समाहर्ता, रॉची।

एस ए आर अपील 07 आर 15/08–09

डिस्टियुस कुजुर — अपीलकर्ता

बनाम

मंगरा मुण्डा — प्रतिवादी

आदेश

5/21.5.2008 यह अपील एस ए आर वाद संख्या 50/05–06 में श्री देवनीस किरो, विशेष विनियमन पदाधिकारी, रॉवी द्वारा दिनांक 8.3.2008 को पारित आदेश के विरुद्ध दायर किया गया है। निम्न न्यायालय ने निम्नांकित जमीन प्रतिवादी को वापस करने का निर्णय लिया है।

ग्राम	खाता	खेसरा	रकबा
कोकर	20	92	15 कट्टा

अपील आवेदन में बताया गया है कि विवादित जमीन प्राप्त करने में कोई अनियमितता नहीं बरती गयी है। प्रतिवादी ने वाद संख्या 670/91–92 द्वारा 26.4.1992 को भूमि हस्तांतरण हेतु अनुमति प्राप्त किया। अनुमति प्राप्त करने के बाद प्रतिवादी ने निबंधित वसीका से अपीलकर्ता को भूमि हस्तांतरित किया। अपीलकर्ता के नाम नामांतरण स्वीकृत होकर लगान रसीद भी निर्गत हो रहा है।

प्रतिवादी नोटिस प्राप्त करने के वाबजूद अनुपस्थित रहे। उनकी ओर से जवाब दाखिल नहीं किया गया एवं बहस भी नहीं किया गया।

अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का बहस सुना गया जिन्होंने अपील आवेदन के तथ्यों का ही उल्लेख करते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि धारा 46 छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत अनुमति प्राप्त कर किये गये हस्तांतरण के विरुद्ध धारा 71 ए के अंतर्गत वाद संधारणीय नहीं है।

वर्तमान अपील वाद एवं निम्न न्यायालय अभिलेख में उपलब्ध कागजातों एवं साक्ष्यों के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित भूमि का हस्तांतरण वाद संख्या 670 आर 8 II बर्ष 91–92 द्वारा अनुमति लेकर वर्तमान अपीलकर्ता को किया गया है। हस्तांतरण निबंधित वसीका द्वारा 1998 में किया गया है। इस प्रकार का हस्तांतरण गलत नहीं है क्योंकि इसमें छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की संगत धाराओं का उल्लंघन नहीं हुआ है। इा तरह के मामलों में धारा 71 ए के अंतर्गत वाद संधारणीय नहीं है। अगर हस्तांतरण की अनुमति में किसी प्रकार की अनियमितता है तो प्रतिवादी उसके विरुद्ध संगत धाराओं के अंतर्गत अपील कर सकते थे परन्तु ऐसा नहीं किया गया है।

अतः अपील स्वीकृत करते हुए निम्न न्यायालय का आदेश निरस्त किया जाता है।

दिनांकः–21.5.2008

लेखापित एवं संशोधित।

ह0/–

अपर समाहर्ता,

रॉची।